महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -31.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 31.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति अभियान फेज-5" के अन्तर्गत आज दिनांक- 31.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

"मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 31.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी टीम के उ0नि0 नरोत्तम सिंह मय हमराह रामबाबू द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु.अ.सं. 11/2026 धारा 137(2)/87/64(2)M बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)5, 3(2)5क एससी एसटी एक्ट थाना खन्ना जनपद महोबा से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त ओमशंकर तिवारी उर्फ आशुतोष पुत्र राजेश तिवारी निवासी बहिंगा थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 26 वर्ष को बरभौली मोड बहद ग्राम खन्ना से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बाद कार्यवाही वांछित अभियुक्त ओमशंकर तिवारी उर्फ आशुतोष उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

ओमशंकर तिवारी उर्फ आशुतोष पुत्र राजेश तिवारी उम्र करीब 26 वर्ष निवासी बहिंगा थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नरोत्तम सिंह थाना खन्ना जनपद महोबा
2. हे.कां. रामबाबू थाना खन्ना जनपद महोबा।

उ0प्र0 पुलिस में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को दी गई सम्मानपूर्ण एवं भावुक विदाई।

उ0प्र0 पुलिस में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानपूर्वक विदाई दिए जाने के उद्देश्य से आज दिनांक 31.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा स्थित सभाकक्ष में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को उनके परिवारजनों की गरिमामयी उपस्थिति में स्मृति चिन्ह, शॉल, उपहार एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने अपने संबोधन में सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों द्वारा अपने दीर्घकालीन सेवाकाल में निभाई गई कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी एवं निस्वार्थ सेवा भावना की सराहना करते हुए उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में दी गई सेवाएं समाज की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगी। साथ ही सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य, सुखमय पारिवारिक जीवन एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए भावुक विदाई दी गई।

सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मी–

* उ0नि0स0पु0 श्री नरेन्द्र सिंह
* उ0नि0ना0पु0 श्री अवधेश कुमार द्विवेदी
* मु0आ0 श्री शमशाद खाँ
* मु0आ0 श्री देवलाल तिवारी

उक्त विदाई समारोह के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी श्री गौरव उपाध्याय, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार सिंह सहित जनपद के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों के परिवारजन उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान सभी उपस्थितजनों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मान, आत्मीयता एवं ससम्मानपूर्वक विदाई प्रदान की गई।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 31.01.2026

मीडिया सेल, महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

मारपीट की घटना करने वाले आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित करते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं ₹2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप ए0एस0जे0 विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट महोबा द्वारा मारपीट की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 03 वर्ष के कारावास एवं ₹2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 1221/2010 धारा- 323/325 भादवि से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त पिंकू उर्फ प्रमोद राजपूत पुत्र मातादीन निवासी मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को 03 वर्ष के कारावास एवं ₹2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।